न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।
परिवाद संख्या-690/2023
CNR. No- UPCH120013642023
उर्मिला देवी बनाम उदयवीर सिंह आदि

दिनांक- 28.08.2025

1- पत्रावली पेश हुयी। पूर्व में परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है।

2- परिवादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 156(3) प्रस्तुत किया गया था जो कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 21.10.2023 को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार निम्नवत् है-

(i) दिनांक 09.06.2023 को लगभग समय 09:00 बजे सुबह प्रार्थिया अपने गांव बसिंघा से मऊ के लिए आ रही थी एवं जब मऊ बस स्टोप पर उतरी तभी उदयवीर सिंह, गुलाब सिंह, अजीत प्रताप सिंह, शत्रुघन सिंह, ममता देवी, राजेश्वरी, अजीत प्रताप सिंह, संगीता एवं अमन सिंह एकराय होकर भूमि विवाद और बंटवारे को लेकर गाली-गलौज किया।

(ii) जब प्रार्थिया ने का विरोध किया तो उपरोक्त सभी लोग एकराय होकर प्रार्थिया को मारने-पीटने लगे। उन्होंने प्रार्थिया से कहा कि यदि मऊ तहसील में मुकदमा करेगी तो तुम्हें जान से मार डालेंगे।

(iii) उपरोक्त लोगों के मारने-पीटने से प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवारजनों को गंभीर चोटें आईं।

(iv) बस स्टाप पर तमाम राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। जब प्रार्थिया के परिवारजन बीच-बचाव करने आए तो उनको भी बहन-बेटी की गाली देते हुए मारा-पीटा और जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर चले गए।

3- परिवादिया ने धारा 200 दं०प्र०सं० अंतर्गत दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में परिवाद पत्र में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया है जिसकी पुष्टि धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परिक्षित किए गए साक्ष्यों प्रमोद कुमार व चन्द्रशेखर ने की है। परिवादिया द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भेजे गए प्रार्थना पत्र की छायाप्रति तथा मूल रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत की गई है।

4- परिवादिया ने धारा 200 दं०प्र०सं० अंतर्गत दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 को सुबह लगभग 10:00 बजे मैं बस से मऊ आ रही थी। जब मैं मऊ बस अड्डे पर पहुंची तो उदयवीर सिंह, गुलाब सिंह, अजीत प्रताप सिंह, शत्रुघन सिंह, ममता देवी, राजेश्वरी, अजीत प्रताप सिंह, संगीता ने मुझे लात-घूसों से मारा-पीटा। इतने में भीड़ इकट्ठा हो गई व मामला शांत करवाया। उसी भीड़ में मेरे जान-पहचान के प्रमोद कुमार थे। मैं थाने गई पर मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। मेरे व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद है, इसी बात को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मामले को शांत करवाने में मेरे पहचान के प्रमोद थे। प्रमोद के साथ एक वृद्ध व्यक्ति है मैं उन्हें नहीं जानती।

5- साक्षी प्रमोद कुमार ने धारा 202 दं०प्र०सं० अंतर्गत दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.08.2023 को सुबह के लगभग 10:00 बजे मैं व चन्द्रशेखर द्विवेदी काम से मऊ बाजार आए थे। जब हम मऊ बस स्टैंड पहुंचे तो मैंने देखा कि एक महिला उर्मिला को उदयवीर सिंह, गुलाब, शत्रुघन, ममता, संगीता व सात-आठ अज्ञात लोग घसीट कर मार रहे थे व जान से मारने की धमकी दी। तब मैंने व अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मैं घटना के पहले से ही उर्मिला देवी को जानता था। बीच-बचाव करने में मैं, चन्द्रशेखर, सच्चिदानंद व अन्य लोग जिन्हें मैं नहीं जानता था। घटना के पहले मैं विपक्षीगणों को नहीं जानता था। उर्मिला ने बताया था कि मेरे ससुर, तीन देवर, दो देवरानी, भतीजे ने मेरे साथ मारपीट की है।

6- परिवादिया ने अपने बयान परिवाद पत्र में किए गए कथनों की पुष्टि की है। प्रमोद कुमार एवं चन्द्रशेखर को धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परीक्षित किया गया है। उक्त साक्षीगण ने भी परिवादिया द्वारा परिवाद पत्र में किए गए अभिकथनों का समर्थन किया है।

7- साक्षी चन्द्रशेखर ने धारा 202 दं०प्र०सं० अंतर्गत दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.08.2023 को मैं व प्रमोद सुबह के लगभग 09:30 बजे मऊ बस स्टैंड के पास चाय पी रहा था। तो मैंने देखा उदयवीर, गुलाब मिलकर उर्मिला के साथ मारपीट कर रहे थे। उनके साथ और भी लोग थे। मैंने व प्रमोद ने बीच-बचाव की कोशिश की। उर्मिला को उदयवीर, गुलाब सहित पांच-छः आदमी मार रहे थे। उर्मिला व उदयवीर को मैं घटना के पहले से जानता हूं। विपक्षीगण ने उर्मिला के साथ केवल मारपीट की थी और कुछ नहीं किया था।

8- प्रार्थिया द्वारा अपने बयान अतंर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि उसको उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली-गलौज किया गया। प्रार्थिया का यह भी कथन है कि **गुलाब सिंह, ममता देवी, शत्रुघन सिंह, संगीता व उदयवीर सिंह ने उसे लात-घूसों से मारा-पीटा**, जाने से मारे जाने के संबंध में प्रार्थिया द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। परिवादिया द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने प्रार्थिया से लिपटकर, बाल पकड़कर जमीन पर पट दिया तथा बुरी-बुरी गालिया देते हुए मारा-पीटा।

(i) साक्षी प्रमोद कुमार द्वारा अपने बयान अंतर्गत 202 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि उर्मिला (परिवादिया) को **उदयवीर सिंह, गुलाब सिंह, शत्रुघन सिंह, ममता, संगीता व सात-आठ अज्ञात लोग घसीटकर मार रहे थे** व जान से मारने की धमकी दी। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि इस घटना के पहले विपक्षीगण को नहीं जानता था तथा **उर्मिला ने बताया था कि उसके ससुर, तीन देवर, दो देवरानी तथा भतीजे ने उसके साथ मारपीट की है।**

(ii) साक्षी चन्द्रशेखर ने अपने बयान अंतर्गत 202 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि उदयवीर, गुलाब मिलकर उर्मिला के साथ मारपीट कर रहे थे और उनके साथ और भी लोग थे। प्रार्थिया को **उदयवीर, गुलाब सिंह सहित पांच-छः आदमी मार रहे थे। विपक्षीगण ने प्रार्थिया के साथ केवल मारपीट की थी और कुछ नहीं किया था।**

9- उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से विपक्षीगण उदयवीर सिंह, गुलाब सिंह व शत्रुघन के द्वारा प्रार्थिया के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323 भा०दं०सं० का कारित होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। अन्य विपक्षीगण द्वारा किसी अपराध का कारित होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है।

आदेश

10- परिवाद सं० 690/2023 में विपक्षीगण/अभियुक्तगण उदयवीर सिंह, गुलाब सिंह व शत्रुघन को अंतर्गत धारा 323 भा०दं०सं० के अंतर्गत विचारण हेतु जरिए समन दिनांकित 29.09.2025 को तलब किया जाए। आवश्यक पैरवी परिवादिया द्वारा अविलंब की जाए। समन के साथ प्रार्थना पत्र के प्रतिपादित प्रेषित की जाए। बाद पैरवी समन जारी हो।

(एस० आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
जे.ओ. कोड यू.पी. 4878